



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 178]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सं.एल-1/132/2013-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा टिप्पणियां :

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2019 है,
- 1.2 ये विनियम 03.06.2019 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन

- 2.1 एक नया उपखंड मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छक) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-
"(छख) "दैनिक बेस डीएसएम प्रभार" से विनियम 7 के अधीन अतिरिक्त प्रभारों को छोड़कर प्रतिदेय दिन या प्राप्य, यथास्थिति, में सभी टाईम ब्लॉकों के लिए विचलनों के लिए प्रभारों का योग अभिप्रेत है।"
- 2.2 एक नया उपखंड मूल विनियम के विनियम 2 के खंड(1) के उपखंड (थ) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

"(थ क) "टाईम ब्लॉक डीएसएम प्रभार" से विनियम 7 के अधीन अतिरिक्त प्रभारों को छोड़कर, प्रतिदेय दिन या प्राप्य, यथास्थिति, में विनिर्दिष्ट टाईम ब्लॉक के लिए विचलन हेतु प्रभार अभिप्रेत है।"

3. मूल विनियम के विनियम 5 (विचलन के लिए प्रभार) का संशोधन:

3.1 मूल विनियम के विनियम 5 के खंड(2) में उपखंड (घ) के बाद निम्नलिखित नए उपखंड निम्नानुसार अंतर्विष्ट किए जाएंगे:-

"(ड.) अंतरप्रादेशिक विचलन के लिए और क्रॉस-बॉर्डर संव्यवहारों के संबंध में विचलन के लिए प्रभार डे-अहेड बाजार में अबाधित बाजार क्लियरिंग कीमत के आधार पर संगणित किया जाएगा।

(च) विभिन्न बोली क्षेत्रों में आने वाली एक ईकाई के संबंध में विचलन के लिए प्रभार बोली क्षेत्र के दैनिक औसत एसीपी के आधार पर संगणित किए जाएंगे जिस में इस प्रकार की ईकाई का इसकी मांग का अधिकतम समानुपात है।"

3.2 मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (3) को निम्नानुसार किया जाएगा:-

"उत्पादन केंद्रों के लिए विचलन के लिए प्रभारों हेतु कैप दर, ईंधन प्रकार का ध्यान किए बिना और इस प्रकार के उत्पादन केंद्र का टेरिफ आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है या नहीं, 303.04 पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक नहीं होगा।"

4. मूल विनियम के विनियम 7 (विचलन मात्रा पर सीमाएं और क्रॉसिंग सीमाओं के परिणाम) का संशोधन:-

4.1 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के अधीन निम्नलिखित परंतुक को समाप्त किया जाएगा।

4.2 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (3) की सारणी-II में, "पूर्ववर्ती माह के लिए किए गए बिल के रूप में ऊर्जा प्रभारों के समतुल्य कैप दर" शब्दों को, जहाँ वे घटित होते हैं, "303.04 पैसे/किलोवाट घंटा के विचलन के लिए कैप दर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

4.3 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (4) को निम्नानुसार किया जाएगा:-

"(4) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन यथा निर्धारित विचलन के लिए प्रभारों के अतिरिक्त, विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार क्रेता/विक्रेता द्वारा यथास्थिति प्रत्येक टाईम ब्लॉक के लिए विद्युत के अधिक अंतःक्षेपण/कम आहरण के लिए लागू होगा जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.01 हर्टज लेकिन '50.0 हर्टज से कम नहीं' या 303.04 पैसे/किलोवाट घंटा के विचलन के लिए कैप दर जो भी कम हो के ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुसारी विचलन के प्रभारों के समतुल्य दरों पर 50.10 हर्टज और अधिक है।"

4.4 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (6) के परंतुक में, "पूर्ववर्ती माह के लिए किए गए बिल के रूप में ऊर्जा प्रभारों के समतुल्य कैप दर" शब्दों को "303.04 पैसे/किलोवाट घंटा की कैप दर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.5 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (10) को निम्नानुसार किया जाएगा:-

"किसी प्रादेशिक ईकाई (क्रेता या विक्रेता) द्वारा एक दिशा में (सकारात्मक या नकारात्मक) में अनुसूची से सतत विचलन की स्थिति में, इस प्रकार की ईकाई इस विनियम के खंड (क) और (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रीति से इसकी स्थिति में संशुद्धि करेगी।

(क) 31.03.2020 तक की अवधि के लिए: यदि अनुसूची से सतत विचलन 12 टाईम ब्लॉकों के लिए एक दिशा में (सकारात्मक या नकारात्मक) जारी रहता है, तो प्रादेशिक ईकाई (क्रेता या विक्रेता) परिवर्तित अनुसूची से इसके विचलन के चिह्न बनाते हुए या इन विनियमों के विनियम 7(1) और 7(2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट मात्रा सीमा के सबसेट की इस प्रकार की रेंज, 13 टाईम ब्लॉक तक कम से कम एक बार, इसकी अनुसूची के संदर्भ में +/- 20 मेगावाट की रेंज में बनाए रखते हुए, स्थिति की संशुद्धि करेगा।

बशर्ते कि इस खंड के अधीन अपेक्षा का प्रत्येक उल्लंघन प्रतिदेय या/प्राप्य जैसी भी स्थिति हो, टाईम ब्लॉक डीएसएम प्रभार के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार होगा।

(ख) 01.04.2020 से अवधि के लिए: यदि अनुसूची से सतत विचलन 6 टाईम ब्लॉकों के लिए एक दिशा में (सकारात्मक या नकारात्मक) जारी रहता है, तो प्रादेशिक ईकाई (क्रेता या विक्रेता) परिवर्तित अनुसूची से इसके विचलन के चिह्न बनाते हुए या इन विनियमों के विनियम 7(1) और 7(2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट मात्रा सीमा के सबसेट की इस प्रकार की रेंज, 7 टाईम ब्लॉक तक कम से कम एक बार, इसकी अनुसूची के संदर्भ में +/- 20 मेगावाट की रेंज में बनाए रखते हुए, स्थिति की संशुद्धि करेगा।

बशर्ते कि इस विनियम के खंड (ख) के अधीन अपेक्षा का उल्लंघन में नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार होगा।

एक दिवस में उल्लंघनों की संख्या	प्रतिदेय अतिरिक्त प्रभार
प्रथम से पांचवां उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 3 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार
छठे से दसवां उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार
ग्याहरवें से आगे उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार

बशर्ते यह कि इस विनियम के खंड (क) और (ख) के अधीन चिह्न परिवर्तन उल्लंघनों की संख्या की गणना प्रत्येक दिन के लिए 00.00 घंटों पर नए सिरे से आरंभ की जाएगी।

बशर्ते यह कि इस विनियम के खंड (क) और (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परिवर्तित अपेक्षाओं के अनुपालन न होने के लिए अतिरिक्त प्रभार का भुगतान निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगा:-

- (क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक जो प्रादेशिक इकाइयाँ हैं
- (ख) पॉन्डेज के बिना रन ऑफ रिवर परियोजनाएं
- (ग) संयोजकता विनियमों के अनुसार परीक्षण और आरंभ की जा रही गतिविधियों के दौरान यूनिट के सीओडी के पूर्व उत्पादन केंद्र के द्वारा विद्युत के कोई इन्फर्म अंतःक्षेपण
- (घ) यूनिट के स्टार्टअप गतिविधियों के लिए उत्पादन केंद्र द्वारा विद्युत का कोई आहरण
- (ङ) कोई अंतःप्रादेशिक विचलन
- (च) पावर एक्सचेंजों पर सामूहिक संव्यवहारों के मामले में उत्पादन केंद्र की फोर्स आउटेज निदर्शन-

i) 7(10)(क) के निदर्शन:

31.3.2020 तक की अवधि के लिए: टाईम ब्लॉक टी-1 से टी-12 तक सतत विचलन वाली प्रादेशिक ईकाई को इसके विचलन के चिह्न को परिवर्तित करते हुए (सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक जैसी भी स्थिति हो) या तो इसकी स्थिति में संशुद्धि होगी या टाईम ब्लॉक टी-13 के अंत तक इसकी अनुसूची के संदर्भ में +/- 20 मेगावाट की रेंज में वापस आना चाहिए। यदि, इस प्रकार के चिह्न परिवर्तन नहीं होते या समय ब्लॉक टी-13 के अंत तक +/- 20 मेगावाट की रेंज में वापस नहीं आते परंतु स्थिति के इस प्रकार के शुद्धि टाईम ब्लॉक टी-14 से टाईम ब्लॉक टी-24 तक होते हैं, तब अतिरिक्त प्रभार एक उल्लंघन तक समतुल्य पर उद्गृहीत होगा। उक्त उल्लंघन में टी-13 के लिए टाईम ब्लॉक डीएसएम प्रभार के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार होगा। इसके अलावा, यदि चिह्न में परिवर्तन नहीं होता या टी-25 के अंत तक भी उक्त रेंज में वापस नहीं आता परंतु स्थिति की शुद्धता टाईम ब्लॉक टी-26 से टाईम ब्लॉक टी-36 तक होता है, तो अतिरिक्त प्रभार दो उल्लंघनों के समतुल्य

उद्गृहीत होगा। उक्त उल्लंघन, टी-13 और टी-25 के लिए टाईम ब्लॉक डीएसएम की 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार होगा।

ii) 7(10)(ख) के निदर्शन:

01.04.2020 से अवधि के लिए: यदि टाईम ब्लॉक टी-1 से टी-7 तक सतत विचलन वाली एक प्रादेशिक ईकाई को इसके विचलन के चिह्न को परिवर्तित करते हुए (सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक जैसी भी स्थिति हो) या तो इसकी स्थिति में संशुद्धि करनी होगी या टाईम ब्लॉक टी-7 के अंत तक इसकी अनुसूची के संदर्भ में +/- 20 मेगावाट की रेंज में वापस आना चाहिए। यदि, इस प्रकार के चिह्न परिवर्तन नहीं होते या टाईम ब्लॉक टी-7 के अंत तक उक्त रेंज में वापस नहीं आते परंतु स्थिति के इस प्रकार के शुद्धि टाईम ब्लॉक टी-8 से टाईम ब्लॉक टी-12 तक होते हैं, तब अतिरिक्त प्रभार एक उल्लंघन तक समतुल्य पर उद्गृहीत होगा। इसके अतिरिक्त, यदि चिह्न परिवर्तन नहीं होता या टी-13 के अंत तक यथोक्त रेंज में वापस नहीं आता परंतु स्थिति की शुद्धता टाईम ब्लॉक टी-14 से टाईम ब्लॉक टी-18 तक होता है, तो अतिरिक्त प्रभार दो उल्लंघनों के समतुल्य उद्गृहीत होगा।

अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट दर पर होगा।

4.6 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (11) को निम्नानुसार किया जाएगा:-

"विनियम 5 के अधीन विचलन के लिए प्रभारों का भुगतान और इस विनियम की धारा (3), (4) और (10) के अधीन विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों को किसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उद्गृहीत किया जाएगा जिसे उक्त विनियमों के उपबंधों के खण्डन के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाता है।"

4.7 मूल विनियम के विनियम 7 के खंड 11(क) को समाप्त किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के अनुबंध-1 (क्रेता/विक्रेता [नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर] द्वारा अधिक आहरण/कम अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं को पार करने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक ईकाई के लिए विचलन के प्रभारों की संगणना के लिए पद्धतियों) का संशोधन:

5.1 मूल विनियम के अनुबंध 1 के उपखंड ख (3) में निदर्शन ख के अधीन नोट में, "पूर्ववर्ती माह के लिए किए गए बिल के रूप में ऊर्जा प्रभारों के समतुल्य कैप दर" शब्दों को "303.04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलन के लिए कैप दर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./64]

नोट: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 06 में तारीख 07.01.2014 को प्रकाशित किए गए तथा संशोधित किए गए —

- क. शुद्धिपत्र जो तारीख 17.02.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 57 में प्रकाशित किए गए।
- ख. प्रथम संशोधन विनियम, 2014 जो तारीख 31.12.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 381 में प्रकाशित किए गए।
- ग. द्वितीय संशोधन विनियम, 2015 जो तारीख 10.08.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 272 में प्रकाशित किए गए।
- घ. तृतीय संशोधन विनियम, 2016 जो तारीख 16.05.2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 201 में प्रकाशित किए गए।
- ङ. चतुर्थ संशोधन विनियम, 2018 जो तारीख 26.11.2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग- III, खण्ड 4, संख्या 444 में प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

AMENDMENT

New Delhi, Dated 28th May, 2019

No. L-1/132/2013-CERC.—In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:-

1. Short Title and Comments

1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) (Fifth Amendment) Regulations, 2019.

1.2 These regulations shall come into force with effect from 3rd June, 2019.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

2.1 A new sub-clause shall be added after sub-clause (ga) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under:-

“(gb) “Daily Base DSM Charge” means the sum of charges for deviations for all time blocks in a day payable or receivable as the case may be, excluding the additional charges under Regulation 7”.

2.2 A new sub-clause shall be added after sub-clause (q) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under :-

“(qa) “Time Block DSM Charge” means the charge for deviation for the specific time block in a day payable or receivable as the case may be, excluding the additional charges under Regulation 7”

3. Amendment of Regulation 5 (Charges for Deviations) of the Principal Regulations:

3.1 The following new sub-clauses after sub-clause (d) in clause (2) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be inserted as under :-

“(e) The charges for inter-regional deviation and for deviation in respect of cross-border transactions shall be computed on the basis of the unconstrained market clearing price in Day Ahead Market.

“(f) The charges for deviation in respect of an entity falling in different bid areas, shall be computed on the basis of the daily average ACP of the bid area in which such entity has largest proportion of its demand.”

3.2 Clause (3) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under :-

“The Cap rate for the charges for deviation for the generating stations, irrespective of the fuel type and whether the tariff of such generating station is regulated by the Commission or not, shall not exceed 303.04 Paise/kWh.”

4. Amendment of Regulation 7 (Limits on Deviation volume and consequences of crossing limits) of the Principal Regulation:

4.1 The following proviso under clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be deleted.

4.2 In Table-II of clause (3) of Regulation 7 of the Principal Regulations, the words “Cap Rate being equivalent to the energy charges as billed for the previous month” wherever they occur, shall be substituted by the words “*Cap Rate for Deviation of 303.04 Paise/kWh*”.

4.3 The clause 4 of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(4) In addition to Charges for Deviation as stipulated under Regulation 5 of these regulations, Additional Charge for Deviation shall be applicable for over-injection/under-drawal of electricity for each time block by a buyer/seller as the case may be when grid frequency is 50.10 Hz and above’ at the rates equivalent to charges of deviation corresponding to the grid frequency of ‘below 50.01 Hz but not below 50.0 Hz’, or cap rate for deviation of 303.04 Paise/kWh whichever is lower.”

4.4 In Proviso to clause (6) of Regulation 7 of the Principal Regulations, the words “Cap Rate equivalent to the energy charges as billed for the previous month” shall be substituted by the words “*Cap Rate of 303.04 Paise/kWh*”.

4.5 Clause (10) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"In the event of sustained deviation from schedule in one direction (positive or negative) by any regional entity (buyer or seller), such entity shall correct its position in the manner as specified under clauses (a) and (b) of this Regulation.

- (a) For the period up to 31.03.2020: If the sustained deviation from schedule continues in one direction (positive or negative) for 12 time blocks, the regional entity (buyer or seller), shall correct its position by making the sign of its deviation from schedule changed or by remaining in the range of +/- 20 MW with reference to its schedule, at least once, latest by 13th time block, such range being a subset of volume limit as specified under Regulations 7(1) & 7(2) of these Regulations.

Provided that each violation of the requirement under this clause shall attract an additional charge of 10% of the time block DSM charge payable or receivable as the case may be.

- (b) For the period from 01.04.2020: If the sustained deviation from schedule continues in one direction (positive or negative) for 6 time blocks, the regional entity (buyer or seller), shall correct its position, by making the sign of its deviation from schedule changed or by remaining in the range of +/- 20 MW with reference to its schedule, at least once, latest by 7th time block such range being a subset of volume limit as specified under Regulations 7(1) & 7(2) of these Regulations.

Provided that violation of the requirement under clause (b) of this Regulation shall attract an additional charge as specified in the table below:

<i>No. of violations in a Day</i>	<i>Additional Charge Payable</i>
<i>From first to fifth violation</i>	<i>For each violation, an additional charge @ 3% of daily base DSM charge payable or receivable</i>
<i>From sixth to tenth violation</i>	<i>For each violation, an additional charge @ 5% of daily base DSM charge payable or receivable</i>
<i>From eleventh violation onwards</i>	<i>For each violation, an additional charge @ 10% of daily base DSM charge payable or receivable</i>

Provided further that counting of number of sign change violations under clauses (a) & (b) of this Regulation shall start afresh at 00.00 Hrs. for each day.

Provided also that payment of additional charge for failure to adhere to sign change requirement as specified under clauses (a) & (b) of this regulation shall not be applicable to:

- a. renewable energy generators which are regional entities*
- b. run of river projects without pondage*
- c. any infirm injection of power by a generating station prior to CoD of a unit during testing and commissioning activities, in accordance with the Connectivity Regulations.*
- d. any drawal of power by a generating station for the start-up activities of a unit.*
- e. any inter-regional deviations.*
- f. forced outage of a generating station in case of collective transactions on Power Exchanges.*

Illustrations:-

(1) *Illustration to 7(10)(a):-,*

For the period up to 31.03.2020: A regional entity having a sustained deviation from time blocks t_1 to t_{12} , shall correct its position either by changing the sign of its deviation (from positive to negative or negative to positive as the case may be) or come back in the range of +/- 20 MW with reference to its schedule latest by the end of time block t_{13} . In case, such sign change does not take place or it fails to come back in the range of +/- 20 MW by the end of time block t_{13} , but such correction of position takes place from time block t_{14} up to time block t_{24} , then the additional charge shall be levied equivalent to one violation. The above violation shall attract an additional charge at the rate of 10% of the time block DSM charge for t_{13} . Further, in case, sign change does not take place or it fails to come back to the range as aforesaid even latest by the end of t_{25} , but correction of position takes place from time block t_{26} up to time block t_{36} , then the additional charge shall be levied equivalent to two violations. The above violation shall attract an additional charge at the rate of 10% of the time block DSM for t_{13} and t_{25} , and so on.

(2) *Illustration to 7(10)(b):-,*

For the period from 01.04.2020: A regional entity having a sustained deviation from time blocks t_1 to t_7 , shall correct its position either by changing the sign of its deviation (from positive to negative or negative to positive as the case may be) or come back in the range of +/- 20 MW with reference to its schedule latest by the end of time block t_7 . In case, such sign change does not take place or it fails to come back in the aforesaid range by the end of time block t_7 , but such correction of position takes place from time block t_8 up to time block t_{12} , then additional charge shall be levied equivalent to one violation. Further, in case, sign change does not take place or it fails to come back in the range as aforesaid latest by the end

of t_{13} , but correction in position takes place from time block t_{14} up to time block t_{18} , then the additional charge shall be levied for two violations and so on.

The additional charge shall be at the rate as specified in clause (b) of this Regulation.

4.6 The Clause 11 of the Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

“Payment of Charges for Deviation under Regulation 5 and the Additional Charges for Deviation under Clauses (3), (4) and (10) of this regulation, shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate by the Commission under Section 142 of the Act for contravention of the provisions of the said regulations.”

4.7 The Clause 11(a) of the Regulation 7 of the Principal Regulations shall be deleted.

5. Amendment of Annexure-I (Methodologies for the computation of Charges of Deviation for each regional entity for crossing the volume limits specified for the over-drawal / under-injection by Buyer / Seller [except Renewable Rich State] of the Principal Regulations:-

5.1 In Note under Illustration B in sub-clause (B)(iii) of clause 1 of Annexure-I to the Principal Regulations, the words “Cap Rate being equivalent to the energy charges as billed for the previous month” shall be substituted by the words “*Cap Rate for Deviations of 303.04 Paise/kWh*”.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.
[ADVT III/4/Exty./64]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2014 were published in Part III, Section 4, No. 06 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.01.2014 and amended vide,

- a. Corrigendum published in Part III, Section 4, No. 57 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 17.02.2014
- b. First Amendment Regulations, 2014 published in Part III, Section 4, No. 381 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 31.12.2014
- c. Second Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4, No. 272 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.08.2015
- d. Third Amendment Regulations, 2016 published in Part III, Section 4, No. 201 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 16.05.2016
- e. Fourth Amendment Regulations, 2018 published in Part III, Section 4, No. 444 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 26.11.2018